SUMMARY NO. 2329/2026
शासन विरूद्ध धनताली कुशवाहा

''निर्णय''

''आज दिनांक 10.08.2026 को घोषित किया गया''

1— अभियुक्त द्वारा की गई स्वेच्छया जुर्म स्वीकृति के आधार पर अभियुक्त को **आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी)** के अपराध के आरोप में दोषी ठहराया जाता है।

2— प्रकरण की परिस्थितियों के दृष्टिगत अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3— अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि रिकार्ड पर नहीं है, अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अतः अभियुक्त **धनताली कुशवाहा पिता रामदत्त** को **आबकारी अधिनियम की धारा 36(सी)** के अपराध के आरोप में **न्यायालय उठने तक की सजा** एवं **2000/— रुपये (दो हजार रूपये)** अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने पर **15 दिवस** का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जावे।

4— प्रकरण में जप्तशुदा सामग्री मूल्यहीन होने से नष्ट की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

स्थान — सतना
दिनांक—10.08.2026

सही/—
(पुष्पराज सिंह उईके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सतना (म.प्र.)

सही/—
(पुष्पराज सिंह उईके)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सतना (म.प्र.)